**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 845**

**उत्तर देने की तारीख 17.09.2020**

**खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना**

**845. श्री राजवीर दिलेरः**

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चीन ने खिलौना उद्योग पर कब्जा कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी परिस्थितियों में देश में इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम रोजगार पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का खिलौना उद्योग शुरू करने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने और उद्योग की जटिलताओं के बारे में जानकारी प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उक्त उद्यम स्थापित करने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री**

**(श्री नितिन गडकरी)**

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में आयात किए गए खिलौनों और चीन से आयात किए गए खिलौनों का ब्यौरा निम्नवत हैः

( मूल्यः करोड़ रु. में)

| वर्ष | कुल आयात | चीन से आयात |
|---|---|---|
| 2017-18 | 2210.47 | 1984.66 |
| 2018-19 | 2498.48 | 1930.86 |
| 2019-20 | 2315.80 | 1749.43 |

*स्रोतः डीजीसीआईएस

(ख) से (ङ): एमएसएमई मंत्रालय खिलौनों के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए, नए उद्योग सृजन और विस्तार, प्रौद्योगिकी सहायता और उन्नयन, बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और एमएसएमई को बाजार सहायता के लिए क्रेडिट सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से खिलौना विनिर्माण को सहयोग प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके अलावा, सीई प्रमाणीकरण, खिलौनों के लिए संवर्धित प्लास्टिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग, आईपीआर, इत्यादि पर जागरुकता कार्यक्रम नियमित आधार पर खिलौना उद्योग के लिए आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट 2020-21 में, मेक इन इंडिया के संवर्धन और एमएसएमई के लिए एक समान अवसर सृजित करने के लिए, खिलौनों पर मूल सीमा-शुल्क 20% से बढ़ाकर 60% तक कर दिया गया है।

इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अपनी फ्लैगशिप स्कीम नामतः प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजपी) के माध्यम से देश के सभी भागों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके स्व-रोजगार के अवसर सृजित कर रहा है। कोई भी बेरोजगार युवा पीएमईजीपी के अंतर्गत 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता (ऋण) लेकर खिलौना विनिर्माण इकाई की स्थापना कर सकता है और परियोजना लागत के 35% तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकता है।

इसके अतिरिक्त, आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, एमएसएमई क्षेत्र के लिए कई उपाय किए गए हैं जिसमें संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रु. का अनुषंगी ऋण, एमएसएमई निधियों के कोष के माध्यम से 50000 करोड़ रु. इक्विटी इन्फ्यूजन; एमएसएमई के लिए 3.00 लाख करोड़ रु. की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम; एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए मानदंड में संशोधन और 200 करोड़ रु. तक सरकारी प्रापण के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होना शामिल है ।

***